4631

संख्या– 140 / तीस–1–2012–5(137) / 2007

प्रेषक,

शीला कनौजिया,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0रा0स0परि0निगम,
लखनऊ।

परिवहन अनुभाग–1 लखनऊः दिनांकः 30 मार्च, 2012

विषयः–वित्तीय वर्ष 2011–12 में उ0प्र0 परिवहन निगम में पूँजी विनियोजन के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–जी0–6वी0एफ / 12–64बी0एफ / 85 दिनांक 23 फरवरी, 2012 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2– उक्त के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2011–12 में परिवहन निगम के लिए अंशपूँजी के रूप में प्राविधानित धनराशि रू0–40,00,00,000 / –(रूपये चालीस करोड़ मात्र) के सापेक्ष श्री राज्यपाल रू0–40,00,00,000 / –(रूपये चालीस करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने की सहर्ष स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान करते हैं।

3– उक्त धनराशि आहरण के तीन दिन के अन्दर यात्रीकर के प्राप्ति लेखा शीर्षक में जमा करेंगें तथा इस सीमा तक बकाया यात्रीकर में कमी हो जाएगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण के लिए परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश को प्राधिकृत किया जाता है।

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011–12 के अनुदान संख्या–43 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में लेखा शीर्षक "5055 सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय–190– सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश –03–उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में अंशपूँजी विनियोजन–30–निवेश / ऋण" के नामे डाला जायेगा।

5– यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–यू0ओ–ई–9–116/दस–2012 दिनांक 29 मार्च, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(शीला कनौजिया)
अनुसचिव।

संख्या– 140/तीस–1–2012 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
(1) परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(2) वित्त नियंत्रक, परिवहन आयुक्त कार्यालय/वित्त नियत्रक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
(3) महोलखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय इलाहाबाद।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–9
(6) निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) वैज्ञानिक–डी, बापू भवन, वेबसाइट में एन्ट्री करने हेतु।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शीला कनौजिया)
अनुसचिव।